COURT FEE 10रु. Rs.10 भारत INDIA दस रुपये TEN RUPEES

COURT FEE Rs.10 भारत INDIA दस रुपये TEN RUPEES

माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल ग्वालियर म. प्र. 531

प्र. कं. /2013 निगरानी R 3887 I/13

श्री आनं० कुमा० तोमर, अधि० द्वारा आज दि. 28-10-13 को प्रस्तुत

क्लर्क ऑफ कोर्ट 28-10-13
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

1. रामनिवास पुत्र श्री छोटेलाल, आयु 51 वर्ष, व्यवसाय कृषि, जाति ब्राहम्ण, निवासी गोहद चौराहा तहसील गोहद जिला भिण्ड कृषक ग्राम छीमका म. प्र.।
2. रामनरेश पुत्र पुत्र श्री छोटेलाल, आयु 48 वर्ष, व्यवसाय कृषि, जाति ब्राहम्ण, निवासी गोहद चौराहा तहसील गोहद जिला भिण्ड कृषक ग्राम छीमका म. प्र.।
3. सुरेश पुत्र श्री छोटेलाल, आयु 51 वर्ष, व्यवसाय कृषि, जाति ब्राहम्ण, निवासी गोहद चौराहा तहसील गोहद जिला भिण्ड कृषक ग्राम छीमका म. प्र.।

..........आवेदकगण

विरूद्ध

राजेन्द्र सिंह पुत्र श्री रघुवीर सिंह तोमर, आयु 51 वर्ष, व्यवसाय कृषि, निवासी ग्राम छीमका तहसील गोहद जिला भिण्ड म. प्र.

..............अनावेदक

न्यायालय तहसीलदार वृत्त गोहद जिला भिण्ड द्वारा प्रकरण कं 50/2012–13/बी. 121 में की जा रही कार्यवाही (समस्त आर्डरशीट) एवं आदेश दिनांक 30/4/2013, अमल दिनांक 31/7/2013 (आवेदकगण को जानकारी दिनांक 8/10/2013) को निरस्त कर प्रकरण विधीवत आवेदकगणों को सुनवाई का अवसर दिए जाने का निर्देश दिए जाने हेतु निगरानी आवेदन 50 म. प्र. भू राजस्व संहिता।

13
कु. चित्रा सक्सेना (म.प्र.)
शपथ आयुक्त
ग्वालियर (मध्य प्रदेश)

सविनय निगरानी आवेदन आवेदकगण की ओर से सादर प्रस्तुत है –:

प्रकरण के तथ्य –:

531

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश - ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक - निगरानी-3887-एक/13 **जिला** - भिण्ड

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
19-12-18	आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री आर.एस. सेंगर उपस्थित। आवेदक की ओरं से यह निगरानी तहसीलदार के आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म.प्र. भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत तहसीलदार द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध सुनवाई कलेक्टर द्वारा की जाना है। अत: यह प्रकरण सुनवाई हेतु कलेक्टर को भेजा जाता है। उभयपक्ष प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक 25-5-19 को कलेक्टर, जिला भिण्ड के समक्ष उपस्थित हों। **प्रशासकीय सदस्य** (3)	